128

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

।। श्री ।।

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्र.क. /16 पुनरीक्षण   R 312-PB2/17

01. सायरबाई पति स्व. गंगारामजी जाति गारी
02. जगन्नाथ पिता नानुरामजी जाति गारी
03. रामकिशन पिता देवाजी जाति दर्जी
04. बाबुलाल पिता देवाजी जाति दर्जी

निवासीगण ग्राम लखेसरा तहसील बड़नगर
जिला उज्जैन म.प्र.

---पुनरीक्षणकर्तागण

विरूद्ध

शंकरलाल पिता नानुरामजी जाति बलाई
निवासी ग्राम लखेसरा तहसील बड़नगर
जिला उज्जैन म.प्र.

---प्रत्यर्थी

कार्यालय कलेक्टर
जिला उज्जैन (म.प्र.)
शाखा..................
13 JAN 2017
अधीक्षक कलेक्टर

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स.

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख) जिला उज्जैन म.प्र. द्वारा प्रकरण कमांक 2805/भू.अ./सा./2016 **में दिनांक** 20/10/16 **को पारित आदेश से व्यथित होकर उक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण**

प्रार्थी अभिभाषक श्री शंकरलाल यादव
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 13-1-17   13-1-17
अधीक्षक
माननीय महोदय
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से पुनरीक्षण आवेदन पत्र **सादर** निम्नलिखीत प्रस्तुत है :–

//प्रकरण का संक्षिप्त विवरण//

यह कि, प्रत्यर्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष **एक** आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 129 म.प्र.भू.रा.स. का प्रत्यर्थी के स्वामित्व के भूमि सर्वे **क.** 235, 265 का सीमांकन किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा **विधिक** प्रकिया का पालन किये बगेर दिनांक 20/10/16... को आदेश पारित किया गया **जिससे** व्यथित होकर यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत है।

//पुनरीक्षण के आधार//

01– यह कि, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित **आदेश** विधि एवं विधान के विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

02– यह कि, अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष **प्रत्यर्थी** द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में पुनरीक्षणकर्तागण की भूमियो के सर्वेक्षण संख्यांक उल्लेखित नही किये गये इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में ...

(128)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-312-पीबीआर/17 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अमित उपाध्याय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	